न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 127/2009 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2009/00067

उनवान

जगदीश पुत्र स्व0 श्री कल्लन जाति कोली निवासी ग्राम वरीपुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. सलिका } पुत्रगण दुर्जन जाति गूजर निवासी विपरपुर तहसील व जिला धौलपुर।
2. हलुका }
3. राम सिंह पुत्र तुलुआ जाति जाटव निवासी ग्राम विपरपुर तहसील व जिला धौलपुर।
4. रामश्री पुत्री तुलुआ पत्नि रामदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम ऊंटगिरि तहसील खैरागढ जिला आगरा उत्तर प्रदेश।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.03.2009 प्रकरण संख्या 03/2004 उनवान सरकार बनाम कल्लन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री विज्जोलाल शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री किरोडी लाल जाटव अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–27.01.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 23.03.09 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 05 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम विपरपुर, कल्लन पुत्र पतुआ जाति कोली साकिन वरीपुरा की खातेदारी में दर्ज है। जिस पर उसका काई कब्जा नहीं है। उक्त आराजीयात पर सलिका व हलुका पिसरान दुर्जन कौम गूजर निवासी विपरपुर काबिज होकर काश्त कर रहा है। विवादित आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी में है एवं कब्जा सर्वण जाति के व्यक्तियों का है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 45 व 46 का उल्लघंन है। अतः विवादित आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर विवादित भूमि को सिवायचक अंकित करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

दिनांक 23.03.2009 से डिक्री कर दिया। उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 में अपीलाण्ट का तर्क है कि अपीलाण्ट के पिता प्रकरण में पक्षकार मुकदमा थे एवं उनका निधन दौराने दावा हो गया। वादी द्वारा अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित करा लिया। अतः अपीलाधीन आदेश से उनके हित प्रभावित होते हैं। चूंकि अपीलाण्ट को उनके पिता की मृत्यु के बाद पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। अतः धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील ग्रहण की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.01.2007 को जब यह तथ्य आ गया कि प्रतिवादी कल्लन की मृत्यु हो चुकी है तथा अदालत तहत ने वादी को मृतक कल्लन के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आदेश भी पारित कर दिया तो प्रकरण में मृतक कल्लन के वारिसान को पक्षकार बनाये बिना कोई कार्यवाही किया जाना अवैध व गैर कानूनी था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी कल्लन के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त तथ्य दिनांक 02.01.2007 को प्रकट हुआ एवं वादी द्वारा दिनांक 17.02.2009 तक उसके कायम मुकामान की कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसी सूरत में दावा वादी स्वतः अवैट हो जाने के कारण प्रकरण में कोई भी कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं था। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि प्रकरण में अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु हो गयी थी चूंकि वादी द्वारा अपीलाण्ट को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया एवं अपीलाधीन आदेश उनकी बैक पर पारित हुआ है। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं हो सकी। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2017 पेज 415, 2014 पेज 687 का उद्धरण पेश किया।

5. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 03 व 04 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं है। विवादित आराजी का खातेदार तुलुआ था। तुलुआ से रैस्पो0 संख्या 01 व 02 ने गलत तरीके से कल्लन के नाम वयनामा करा लिया। रैस्पो0 संख्या 03 व 04 उक्त वयनामा को निरस्त कराने के लिये सक्षम न्यायालय में गये एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 के तहत प्रकरण में पक्षकार मुकदमे बने। यदि अपीलाण्ट की जानकारी में था कि कल्लन की मृत्यु हो चुकी है तो उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। विवादित आराजी सलिका व हलुका के कब्जे में है। कल्लन का कोई कब्जा ही नहीं था एवं ना वर्तमान में है। इसके अलावा अपीलाण्ट के अभिभाषक द्वारा पूर्व पेशी पर बहस नहीं करने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा उनको 500/– रूपये कोस्ट पर अग्रिम पेशी

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

दी गयी थी। परन्तु उनके द्वारा कोस्ट भी अदा नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 संख्या 03 व 04 के पिता तुलुआ द्वारा विवादित आराजी को कल्लन के पक्ष में वयनामा होना स्वीकार किया है। कल्लन रिकार्डेड खातेदार था। सिविल कोर्ट में वयनामा को निरस्त कराने के, निर्णय को अपनी बहस में नहीं बताया। उक्त दावा सिविल कोर्ट से खारिज हुआ है एवं वयनामा को वैध माना है। अतः रैस्पो0 संख्या 03 व 04 का विवादित आराजी में कोई हित नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय में कल्लन की मृत्यु के बाद अपीलाण्ट के पिता का वकालतनामा समाप्त हो गया। अतः वादी की जिम्मेदारी बनती है कि वह कल्लन के विधिक वारिसान को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाते। लिहाजा अपीलाधीन आदेश मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित हुआ है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट का हस्तगत अपील में प्रमुखता से यह कथन रहा है कि विवादित आराजी के खातेदार कल्लन पुत्र पतुआ जाति कोली निवासी बरीपुरा थे। कल्लन का देहान्त दौराने दावा हो गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उसके विधिक वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाये, मृतक व्यक्ति के खिलाफ अपीलाधीन आदेश पारित किया है। हमने गौर किया। यह सही है कि प्रकरण में दौराने दावा कल्लन फौत हो चुका था। परन्तु अपीलाण्ट का यह कथन कि डिक्री मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित हुयी है, असत्य व निराधार है। वादी तहसीलदार धौलपुर द्वारा दिनांक 17.02.2009 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि प्रतिवादी कल्लन के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने के कारण उनके विधिक वारिसान ज्ञात नहीं हो पा रहे हैं। अतः कल्लन के नाम के सामने "फौत" शब्द अंकित किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कल्लन के नाम के सामने "फौत" शब्द अंकित किया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि डिक्री मृतक व्यक्ति के खिलाफ पारित हुयी है। अब प्रश्न आता है कि क्या अपीलाण्ट मृतक कल्लन का पुत्र है। अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील के साथ मृतक कल्लन का विधिक वारिस होने बाबत ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य राशन कार्ड, सिजरा आदि प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह साबित होता हो कि वह ही मृतक कल्लन का विधिक वारिस हैं एवं उसके अतिरिक्त मृतक कल्लन का कोई ओर जीवित वारिश शेष नहीं है, जो तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होने वाला हों, वहॉ मौखिक कथन का कोई महत्व नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किया है। इसके अलावा प्रतिवादी कल्लन, सलिका व हलुका की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जवाब तो पेश किया गया है। परन्तु अपने कथनो के समर्थन में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है एवं बाद में प्रकरण में पैरवी करने हेतु उपस्थित भी नहीं रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय में उनका यह रवैया वादी तहसीलदार धौलपुर के दावे एवं पटवारी हल्का के मौका पर्चा में अंकित तथ्यो को, ओर अधिक पुष्ट करता है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त निर्णय को चुनौती देने योग्य, कोई तथ्य, तर्क अथवा साक्ष्य अपील में प्रस्तुत नही किये हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2009 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 27.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.01.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **धौलपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–127/2009 (223 आर.टी.एक्ट.)

1. जगदीश पुत्र स्व0 श्री कल्लन जाति कोली निवासी ग्राम वरीपुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।

..............अपीलांट।

बनाम

1. सलिका } पुत्रगण दुर्जन जाति गूजर निवासी विपरपुर तहसील व जिला धौलपुर।
2. हलुका }
3. रामसिंह पुत्र तुलुआ जाति जाटव निवासी ग्राम विपरपुर तहसील व जिला धौलपुर।
4. रामश्री पुत्र तुलुआ पत्नि रामदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम ऊटंगिरि तहसील खेरागढ जिला आगरा उत्तर प्रदेश।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार व धौलपुर।

.... रेस्पोडेंट।

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दिनांक 23.03.2009 प्रकरण संख्या 03/2004 उनवान सरकार बनाम कल्लन।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री विज्जोलाल शर्मा अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक श्री किरोडी लाल जाटव पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2009 यथावत रखे जाते है।**

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........27...........माह.........01........सन्..........2022.........
को जारी की गई।

मुहर
कैम्प–धौलपुर

दस्तखत..........
औहदा..........
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प–धौलपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।